राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–1) विभाग

क्रमांकः प0 8(5)कार्मिक/ख–1/2012 पार्ट–II   जयपुर,दिनांकः 25 JUL 2017

आज्ञा

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष, 2011 में आयोजित कनिष्ठ लिपिकों की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1970 के नियम 23 के अन्तर्गत शासन सचिवालय में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ लिपिक/लिपिक ग्रेड–II के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 8910/– प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे बैण्ड I 5200-20200 (ग्रेड पे 2400/–) अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता हैः–

क्र.स.	नाम श्री	पिता का नाम	वर्ग	रो0 नं0	मेरिट सं.	जन्म तिथि
1.	मनीष चौधरी	लादूराम	BC	111408	164	01.07.1988
2.	महिपाल सिंह रत्नू	सहसकरण सिंह रत्नू	BC	722137	170	09.02.1991
3.	नीरज यादव	भूपसिंह यादव	BC	765265	174	08.05.1986
4.	विनोद कुमार नामा	राम रतन नामा	BC	110502	179	03.12.1979
5.	मनोहर सिंह	बुद्धाराम	BC	108811	182	15.09.1982
6.	मनु चौधरी	सत्यवीर सिंह	BC	734836	194	25.06.1977
7.	बिजेन्द्र गुर्जर	जीवन राम गुर्जर	BC	721464	200	07.01.1991
8.	विकास जांगिड	बाबू लाल जांगिड़	BC	201360	201	14.11.1988
9.	करूण कुमार गुर्जर	ओम प्रकाश गुर्जर	SB	729371	216	15.07.1989
10.	सुरेश बाबू	बाबू लाल वर्मा	SB	752515	217	16.07.1983
11.	सुरेन्द्र खटाणा	प्रभूदयाल गुर्जर	SB	753181	222	28.06.1990
12.	विष्णु कुमार बैरवा	पन्ना लाल बैरवा	SC	106507	257	09.07.1985
13.	विनोद कुमार	रमेश सिंह	SC	738441	259	22.07.1991
14.	विनिता वेद	सुरेश कुमार गुप्ता	GE,WE	755303	272	15.12.1989
15.	रेनू गुप्ता	महेश चन्द गुप्ता	GE,WE	720527	282	15.08.1985
16.	कालूराम मीणा	छाजू राम मीणा	ST	727591	306	01.08.1985
17.	राजेश कुमार मीणा	गुलाब चन्द मीणा	ST	707817	307	04.02.1993
18.	मनोज कुमार	मदन लाल	ST	204460	313	15.06.1992
19.	राकेश मीणा	रणजीत मीणा	ST	758824	314	25.03.1986
20.	जितेन्द्र कुमार मीणा	भरत लाल मीणा	ST	751675	315	02.07.1992
21.	कैलाश चन्द मीणा	बनवारी लाल मीणा	ST	716224	319	20.04.1985
22.	कजोड़ मल मीणा	श्योनारायण मीणा	ST	402955	320	06.05.1988
23.	अनुज कुमार करल	शिव कुमार करल	BC	307507	187	15.08.1980

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेगें। निर्धाति अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

3. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड–II के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13–03–2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/ 2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/ रूल्स/ 2003 दिनांक 13.03.06 एवं

P.T.O.

राजस्थान सिविल सेवा (संशेधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 12–09–2008 के नियम 21 व परिशिष्ठ–iv के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

6. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो में असफल रहने पर उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

8. यह नियुक्ति पूर्णतयाः अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होगें, इनको लिपिक ग्रेड–II के पद पर राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970 के नियम 32 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।

9. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन नि ाारण लिपिक ग्रेड–II के पै–बैण्ड I 5200-20200 (ग्रेड पे 2400/–) में करते हुए नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगें।

10. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।

11. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ0 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।

12. यदि अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा फर्जी पाये जाते है तो इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर दी जावेंगी।

13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

14. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।

15. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(यू0डी0 खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ0 6(5)परीक्षा "ग"/कनिष्ठ लिपिक/सचिवालय/अभि./2010–11/1907, 1958, 1725 दिनांक 24.01.2017, 22.12.2016 एवं 20.07.2017 के संदर्भ में।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की जांच रिपोर्ट एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां संबंधित को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)।
5. कार्मिक (ग) विभाग को मय अतिरिक्त प्रति।
6. अभ्यर्थी अपने समस्त वांछित मूल दस्तावेज, स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र तथा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट (विभागाध्यक्ष से प्रमाणित छाया प्रतियां प्राप्त कर) साथ लावें।
7. कार्मिक (ख–3)/(ख–4) विभाग।
8. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

25/7/2017
(एस.पी.एस. यादव)
सहायक शासन सचिव